प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 282/23 दिनांक 29/10/23
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट : – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. : –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं : –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 505 समय 7:05 PM
(2) अपराध के घटने का दिन शनिवार दिनांक 28.10.2023 समय 02.20 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 27.10.2023 समय 09.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 350 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी (प्रथम)
(1) नाम : श्री मुफद्दल बोहरा
(2) पिता का नाम : श्री आबिद अली
(3) उम्र 31 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : किराणा दुकान
(7) पता : निवासी पुराना राशमी रोड कपासन जिला चित्तौडगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पुत्र स्व. श्री गणपत लाल चाष्टा जाति ब्राहमण उम्र 33 वर्ष निवासी महाजनो का मोहल्ला मरमी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति

परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा के पिता श्री आबिद अली के द्वारा कृषी भूमि का बंटवारा करवाने हेतु पटवारी श्री चन्द्र प्रकाश चास्टा पटवार मण्डल कपासन से सम्पर्क किया तो पटवारी ने बटंवारा कर नामान्तरण खोलने कि एवज में रिश्वत राशि 15,000/– रूपये मांगने पर परिवादी के पिता श्री आबिद अली ने अपने पुत्र श्री मुफद्दल बोहरा को कहने पर उक्त भ्रष्ट पटवारी को पकडवाये जाने हेतु दिंनाक 27. 10.2023 को ब्यूरों कार्यालय चित्तौडगढ पर परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा द्वारा कार्यवाही करवाने हेतु रिपोर्ट पेश कि जिस पर दिनांक 27.10.2023 को परिवादी के साथ हैड कानि0 श्री जितेन्द्र सिहं को पटवार मण्डल कपासन पटवारी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा के पास रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु भेजा गया जिस पर पटवारी ने उक्त बंटवारा कर नामान्तरण खोलकर जमाबदीं कि नकल देने कि एवज में 15000/– रूपये रिश्वत राशि मांग की गई जिस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन अनुसार आज दिनांक 28.10.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी पटवारी श्री

चन्द्र प्रकाश चाष्टा द्वारा परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा से 15000/— रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य — 15000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
चित्तौडगढ।

विषयः— कानूनी कार्यवाही चाहने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे पिताजी ने अपने खेत के बटवारे हेतु पटवारी चन्द्र प्रकाश चाष्टा को संम्पर्क किया। पटवारी ने खेत में जो तीन नाम चल रहे थे उनमें से एक नाम को खाते से अलग करवाने के लिए कागजात तैयार करवा लिए और बंटवारा तहसीलदार साहब के सामने करवा दिया ।

उसके बाद पटवारी ने मेरे पिताजी से RS 20,000 की मांग की जिस पर मेरे पिताजी ने केवल सरकारी खर्च देने की बात कि परन्तु पटवारी अब RS 15000 की रिश्वत राशि की मांग कर कहा की जमाबंदी की नकल लेने के लिए व बंटवारा रिकार्ड में चढाने के लिये पहले RS 15000 की राशि देनी होगी उसके बाद ही जमाबंदी की नकल मिलेगी तथा बंटवारा रिकार्ड में चढेगा। यह सारी बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई ।

मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं बल्कि रिश्वत लेते हुये उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं । मेरी कर्मचारी से कोई रंजिस द्वेष्ता या उधार पैसो का लेन —देन बकाया नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें।

दिंनाक 27.10.2023

एसडी/—
नाम : मुफद्दल बोहरा
पुत्र आबिद अली
पता पुराना राशमी रोड कपासन—312202
मो0न0 8094954711

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

ज्ञात रहे कि दिनांक 28.10.2023 समय 09.00 ए.एम. परिवादी श्री मुफदल बोहरा व हैड कानि0 जितेन्द्र सिंह मेरे कक्ष में उपस्थित आये है। हैड कानि0 जितेन्द्र सिंह ने परिवादी का प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वायस रिकार्डर पेश कर बताया कि, "मैं कल दिनांक 27.10.2023 को मुताबिक श्रीमान् के टेलिफोनिक आदेश (मोबाईल पर समय 11.28 ए.एम.) श्री मुफदल बोहरा के मोबाईल नम्बर देते हुए हिदायत दी कि परिवादी से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की समझाइस कर उसके साथ हमराह जाकर रिश्वत राशि के मांग सत्यापन की कार्यवाही करनी है। जिस पर मैनें परिवादी से सम्पर्क कर कार्यालय के डीवीआर में एक नया मेमोरी कार्ड डालकर डीवीआर साथ लेकर समय 12.05 पीएम पर एसीबी कार्यालय से कपासन के लिए रवाना होकर समय 12.45 पीएम पर कपासन बाईपास रोड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विध्यालय पहुचां जहां पर मुफद्ल बोहरा उपस्थित मिला जिसे मैने अपना परिचय किया, परिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे मैंने सुरक्षित अपने पास रख लिया तथा परिवादी को डिजिटल वायस रिकार्डर चालु व बन्द करने कि समझाईस की तथा उसे रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु कहा तो उसने कहा कि अभी लंच होने वाला है अभी पटवारी जी नहीं मिलेगें तथा ढाई बजे के आसपास मिलेगें अतः मैं परिवादी के साथ वहीं मुकिम रहा, तथा समय 02.30 पीएम पर परिवादी को डिजिटल वायस रिकार्डर सुपुर्द कर पटवार घर कपासन के लिए रवाना हुये। परिवादी पटवार भवन में अन्दर गया मैं बाहर लगभग 60 कदम दूर पटवार भवन के ठीक

दी गई कि आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा को उनकी मांग अनुसार 15,000/– रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने–अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर दोनो हाथों को फैरने का निर्धारित गोपनीय ईशारा करने के सम्बन्ध में बताया तथा उक्त गोपनीय निर्धारित ईशारे के सम्बन्ध में दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों को समझाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता की रिकार्डिंग करने हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई तत्पश्चात मालखाना प्रभारी के निर्देशन में श्रीमति आशा महिला कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में रखवाई गई तथा महिला कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने के सम्बन्ध में हिदायत दी गई। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढ़कर सुनाई, पढ–सुन–समझ कर सही होना मान अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 01.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यकान्त सैनी, श्री राजकुमार बैरवा व परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा तथा ब्यूरो टीम के सदस्यगण श्री नेमीचन्द सउनि, श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0, श्री दलपत सिंह हैड कानि, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 के जरिये दोनों सरकारी वाहन टवेरा मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के मय चालक श्री शेर सिंह कानि. चालक व मानसिंह कानि0 के कार्यवाही हेतु कपासन के रवाना होकर समय 02.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना शुदा पटवार मण्डल कपासन से पहले पहुच सरकारी वाहनों को साईड में खडा करवा परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ को सुपुर्द कर हमरा श्री राज कुमार बैरवा स्वतन्त्र गवाह के पटवार मण्डल कपासन के लिए रवाना कर परिवादी के पिछे पिछे श्री जितेन्द्र सिहं, श्री ओम प्रकाश, श्री नेमी चन्द को रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , श्री सुर्य कांत सैनी स्वतन्त्र गवाह, श्री दलपत सिहं हैड कानि0 , श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री मान सिहं कानि0 पटवार मण्डल के पास ही स्थित एसडीएम ऑफिस के मुख्य गेट के बाहर बड़ के वृक्ष के निचे खडे होकर उपस्थिति छुपाते हुये निर्धारित ईशारे का इंतजार करने लगें। तत्पश्चात समय 02.20 पीएम पर परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा पुत्र आबिद अली जाति बोहरा मुसलमान निवासी पुराना राषमी रोड कपासन जिला चित्तौडगढ ने पटवार मण्डल कार्यालय कपासन के बरामदे के निचे उतरते हुये सीढी के निचें खडे होकर पूर्व निर्धारित ईषारा किया जिस पर तहसील परिसर कि दीवार के पास खडे श्री नेमीचन्द सहायक उप निरीक्षक एंव श्री जितेन्द्र सिहं हैड कानि0 ने देखकर अन्य सदस्यों को ईषारा करते हुये श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ने अपने मोबाईल से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुसिस अधीक्षक मय हमरायन अविलम्ब षिघ्रता तेज गति से चलते हुये पटवार मण्डल परिसर पहुंचा तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैनें अपने पास सुरक्षित रखा । परिवादी ने हाथ से ईषारा कर बताया की इसी पटवार मण्डल कार्यालय रूम में सामने कुर्सी पर पटवारी श्री चन्द्र प्रकाष बेठे है जिन्होने मेरे से अभी अभी 15000/– रूपयें की रिश्वत राशि मांग अनुसार गवाह श्री राज कुमार के सामने प्राप्त की है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को साथ लेकर पटवार मण्डल कार्यालय रूम के अन्दर प्रवेश किया तो एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने हुये अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर कहा की यही पटवारी साहब है, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया तथा उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम चन्द्र प्रकाश चाष्टा पुत्र स्व. श्री गणपत लाल चाष्टा जाति ब्रहाम्ण (शर्मा) उम्र 33 वर्ष निवासी महाजनो का मोहल्ला मरमी तहसील राशमी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी से परिवादी श्री

सिह कानि0 चालक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास निकलवाये जाकर कार्यालय पटवार मण्डल कपासन के कक्ष में रखें पीने के पानी के केम्पर से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों डिस्पोजल गिलासों में श्री श्याम लाल हैड कानि0 से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों डिस्पोजल गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक डिस्पोजल की गिलास के घोल में आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दुसरे डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH -1 व LH- 2 से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों हाथों की धुलाई का धोवण हल्का गुलाबी होना पाया गया। दोनों डिस्पोजल के गिलासों को गवाह श्री सुर्यकान्त सैनी से जलाकर नष्ट करवाये गयें। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी को रिश्वत में ग्रहण किये गये रूपये बाबत् पुछां तो उसने अपनी जिंस की पेंट कि पिछे की बांयी जेब में रखी हुई रिश्वत राशि निकाल कर टेबल पर रख दियें । इस राशि के समस्त नोटो को दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया तो दोनो गवाहान ने 500–500 रूपये के 30 नोट कुल 15000 रूपये होना बताया । जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटो से दोनो गवाहों द्वारा करवाया गया तो नोटो का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया । इसके उपरान्त आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी के पहने हुए जिंस की पेंट के पिछे की बांयी जेब का प्रकियानुसार धोवन लिया जाने हेतु एक अन्य लोवर पेंट, जो की आरोपी के मित्र गजेंन्द्र ने लाकर दी थी, को आरोपी की पहनी हुए जिन्स पेंट को स:सम्मान उतरवाई जाकर लोवर पहनाई गई तथा एक डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर श्री श्याम लाल हैड कानि से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी की जिन्स पेन्ट के पिछे कि बांयी जेब को श्री श्याम लाल हैड कानि0 से उलटवाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P-1 व P-2 से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिस्पोजल के गिलास को गवाह श्री सुर्यकान्त सैनी से जलाकर नष्ट करवाये गयें । आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी के जिन्स पेन्ट की पिछे कि बांयी जेब पर आरोपी, गवाहों तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर जिन्स पेन्ट को वजह सबूत जब्त कर कपडे की थेली में सीलचिट बंद करा उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी से परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा से सम्बन्धित पटवार मण्डल कार्यालय कपासन में कृषि भूमी बटंवारे से सम्बधित आवेदन कर की कार्यवाही के सम्बध में आरोपी पटवारी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा से कि गई कार्यवाही से सम्बधित दस्तावेजात पेश करने हेतु कहा गया तो आरोपी पटवारी ने बताया की बंटवारे से सम्बधित आवेदन पत्र मैने तहसील कार्यालय कपासन में दिंनाक 23.10.2023 को पेश किया था जिसमें आदेश हो गया अथवा नही हुआ कि जानकारी मुझे नही है तहसील कार्यालय से ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुझे तहसील कार्यालय से आदेश आने के उपरान्त इंतकाल खोलने की कार्यवाही करनी थी। जिस पर हैड कानि0 श्री ओम प्रकाश को तहसील कार्यालय कपासन परिवादी से सम्बधित दस्तावेज प्राप्त करने हेतु भेजा गया जिस पर उक्त सम्बधित दस्तावेज कार्यालय तहसील दार कपासन जिला चित्तौडगढ के पत्र क्रमाक 248 दिनांक 28.10.2023 के साथ संलग्न दस्तावेज पेश कि ये जिसका अवलोकन किया गया तो तहसील कार्यालय के पत्र क्रमाक 247 दिनाक 27.10.2023 द्वारा परिवादी से सम्बधित ग्राम कपासन की जमाबंदी खाता संख्या 1562 आराजी नम्बर 4976, 4977, 4985, 4986 कुल किता 04 रकबा 0.77 हेक्टयर कृषि भूमि का सहमती विभाजन अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2 (1) के तहत

विभाजन की स्वीकृती दी गई तथा सहमती विभाजन का नामान्तरण दर्ज किया जाकर संलग्न ट्रेस अनुसार तरमीम की जाने के आदेश किये जा चुके है उक्त दस्तावेज बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया तथा आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कार्यालय में ही निवासरत होने से कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी पृथक से तैयार की जायेगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढी जरिये लेपटॉप मौके पर कार्यालय पटवार मण्डल कपासन में बैठकर की गई । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 05.15 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी मुफद्दल बोहरा की निशांदेही से घटनास्थल एवं नक्शा मौका कार्यालय पटवार मण्डल कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय 06.00 पी. एम.पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं आरोपी चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी के पटवार मण्डल कपासन के कार्यालय परिसर में स्थित आवास एवं कार्यालय की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कि जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । फिर समय 06.30 पी.एम.पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी मुफद्दल बोहरा की उपस्थिति में, दिनांक 28.10.2023 को परिवादी मुफद्दल बोहरा की वार्ता श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा के मध्य रिश्वत लेन देन के समय में रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 07.50 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा दिनांक 27.10.2023 को समय करीब 02.20 पी.एम पर परिवादी की आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, तथा दिनांक 28.10.2023 को समय 02.07 पी.एम. पर रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त परिवादी की आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी के मध्य हुई रूबरू वार्ता जो कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर मे रिकार्ड की गई थी। उक्त 02 ऑडियों फाईल्स को ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. पेन ड्राईव (मेटल) में सेव किया जाकर उक्त पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी.डी." अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । फिर समय 08.10 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा दिनांक 27.10.2023 को समय करीब 02.20 पी.एम पर परिवादी की आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, तथा दिनांक 28.10.2023 को समय 02.07 पी. एम. पर रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त परिवादी की आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी के मध्य हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे लगे हुए मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर उपरोक्त दोनों वार्ताओ की 04 डब सीडीया श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से तैयार करवाई गई जिसमें से एक सीडी आरोपी, एक सीडी नमूना आवाज हेतु, एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु एवं एक सीडी काउण्टर सीडी के रूप में तैयार कर उक्त सभी सीडीयो पर स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। अनुसंधान अधिकारी की सीडी एवं काउन्टर सीडी को खुला रखा गया तथा शेष दो सीडीयो को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में रखवा सीलचीट कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.50 पी. एम.पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड शुदा दिनांक 27.10.2023 को समय करीब 02. 20 पी.एम पर परिवादी की आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, तथा दिनांक 28.10.2023 को समय 02.07 पी.एम. पर रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त परिवादी की आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी के मध्य हुई रूबरू वार्ता जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड में रिकॉर्ड है । उक्त सरकारी ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क M अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर समय 09.15 पी.एम.

पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पुत्र स्व. श्री गणपत लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 32 साल निवासी ग्राम मरमी, महाजनों का मोहल्ला तहसील व थाना राशमी जिला चित्तोडगढ, हाल पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ को परिवादी मुफद्दल बोहरा से 15,000/— रूपये की रिश्वत राशि लिये जाने के उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत कराया जाकर हस्वकायदा गिरफतार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के छोटे भाई श्री भानु कुमार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन की गिरफ्तारी की सूचना उससे सम्बन्धित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौडगढ़ के नाम पत्र जारी कर पृथक से प्रेषित किया गया । इसके उपरान्त समय 09. 30 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पुत्र स्व. श्री गणपत लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 32 साल निवासी ग्राम मरमी, महाजनों का मोहल्ला तहसील व थाना राशमी जिला चित्तोडगढ, हाल पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ से उसकी आवाज का नमूना चाहने हेतु पृथक से तहरीर दी गई तो आरोपी द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने हेतु अंकित किया गया जिस पर उक्त पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। फिर समय 09.35 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यकान्त सैनी, श्री राजकुमार बैरवा तथा ब्यूरो टीम के सदस्यगण श्री नेमीचन्द सउनि, श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0, श्री दलपत सिंह हैड कानि, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 मय अभियुक्त श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा मय परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा के जरिये दोनों सरकारी वाहन टवेरा मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के तथा उक्त कार्यवाही में समस्त जब्त शुदा आर्टिकल्स, धोवन के सैम्पल, बरामद शुदा रिश्वत राशि मय चालक श्री शेर सिंह कानि. चालक व मानसिंह कानि0 के बाद फारीग कार्यवाही के पटवार मण्डल कपासन से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुए। फिर समय 11.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा राह में टीम को भोजन कराते हुए ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहूंचा जहां पर उक्त कार्यवाही में समस्त जब्त शुदा आर्टिकल्स, धोवन के सैम्पल, बरामद शुदा रिश्वत राशि को सुरक्षित मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 कों सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई तथा आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा, पटवारी को कार्यालय में निगरानी में बैठाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा को रूखसत दी गई। दिनांक : 29.10.2023 समय : 01.30 ए.एम. पर श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ को जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ से आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर जरिये तहरीर देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 03.00 ए.एम. **पर** श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के साथ आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ का राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये। उक्त दोनो तहरीर को शामील कार्यवाही किया तत्पश्चात समय 1.10 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा श्री ओम प्रकाश हैड कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 को आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर लाने हेतु रवाना किया गया ।तत्पश्चात समय 01.30 पी.एम. श्री ओम प्रकाश हैड कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 मय आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिस पर आरोपी को ब्यूरो कार्यालय की निगरानी में बैठाया गया । इसके उपरान्त उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ से रिश्वत राशि

लेने के सम्बन्ध मे पूछताछ कर पृथक से पूछताछ नोट तैयार कर पूछताछ नोट पर आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पूछताछ नोट को शामील पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 2.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई, श्री मान सिंह कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री चन्द्रप्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तोडगढ को मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयुपर के लिये रवाना किया ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा से उनकी कृषी भूमि का बंटवारा करवा कर नामान्तरण खोलकर जमाबदी की नकल देने कि एवज में 15000/– रूपये दिनांक 27.10.2023 को रिश्वत राशि मांग करना तथा दिनांक 28.10.2023 को 15000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने से आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री मुफद्दल बोहरा से दिनांक 27.10.2023 को की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट से रिश्वत राशि की मांग करना एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 28.10.2023 को रिश्वत राशि लेन–देन की वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट से रिश्वत राशि अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 15000/– रूपये गवाह श्री राजकुमार बैरवा के समक्ष ग्रहण करना स्पष्ट प्रमाणित है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं की गई ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री चन्द्र प्रकाश चाष्टा पुत्र स्व. श्री गणपत लाल चाष्टा जाति ब्राहमण उम्र 33 वर्ष निवासी महाजनो का मोहल्ला मरमी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार मण्डल कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी चन्द्र प्रकाश चाष्टा पुत्र स्वर्गीय श्री गणपत लाल चाष्टा, निवासी महाजनो का मोहल्ला, मरमी पुलिस थाना राशमी, जिला चित्तौड़गढ हाल पटवारी, पटवार मंडल कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 282/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

29.10.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः-2981-84 दिनांकः-29.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ, राजस्थान।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।